अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2016

सा.का.नि. 529(अ).– केन्द्रीय सरकार, बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28क की उपधारा (1क) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायलर प्रचालन इंजीनियर (संशोधन) नियम, 2016 है ।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के, नियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:--

"26 **आवेदन का प्रारुप**

(1) परीक्षा के लिए प्रत्येक आवेदन प्रारुप 'क' में होगा ।

(2) आवेदक, प्रारुप के ऐसे भाग को उसी प्रकार भरेगा जैसे किसी अभ्यर्थी द्वारा भरा जाता है और उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

(3) इस प्रकार भरा गया आवेदन सचिव को अग्रेषित किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित कागजात होंगे -

(क) अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता, व्यावहारिक अनुभव के संबंध में प्रत्येक अनुशंसापत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति (मूल अनुशंसापत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाएंगे);

(ख) आयु प्रमाण पत्र के साथ उसके नियोजक का उत्तम चरित्र का अनुशंसापत्र ;

(ग) खजाना चालान या कोई अन्य ऐसा प्रकार, जो सरकार, इस निमित्त, उस परीक्षा के लिए, जिसमें आवेदक उपस्थित होना चाहता है, विनिर्दिष्ट फीस के समर्थन में विनिर्दिष्ट करे ; और

(घ) पासपोर्ट आकार की फोटो (50 मि.मि. x 65 मि.मि.) की दो प्रतियां जिसमें से एक के पीछे आवेदक के हस्ताक्षर होंगे ।"

3. उक्त नियमों के नियम 31 में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:--

   "(क) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से यांत्रिकी या विद्युत या विद्युत और इलैक्ट्रानिक या रासायनिक या शक्ति संयंत्र या उत्पादन या यांत्रिकरण अथवा यांत्रिकरण और नियंत्रण इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा;"

4. उक्त नियमों के, प्रारुप 'क' के भाग 4 के टिप्पण के, पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

   "2 आवेदन के साथ पासपोर्ट आकार की फोटो की दो प्रतियां, जिनमें से एक के पीछे आवेदक के हस्ताक्षर होंगे ।"।

[फा. सं. 6(11)/2009-बायलर्स]

शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 212(अ), तारीख 15 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।